

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु
अपर सचिव।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दि0- 18/12/18

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड-39- 2245808000102 मद के अन्तर्गत ₹1.33666 लाख (एक लाख तेतीस हजार छः सौ छियासठ रुपये) आवंटन की स्वीकृति ।

आदेश -स्वीकृत ।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-24 /आ0प्र0 दिनांक -31.05.18 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से आवंटित की जा रही है ।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष -2018-19 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -01 02-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड -39-2245808000102 मद में मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्षवार निम्नप्रकार है:-
उप मुख्य शीर्ष -80-सामान्य
लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय
उपशीर्ष -0102
मांग सं0-39,

(राशि रुपये लाख में)

क्र0	विभाग	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	योग
1	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	20 02- कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	0.47718 (सैतालीस हजार सात सौ अठारह)	0.28090 (अठ्ठाईस हजार नब्बे रुपये)	0.75808 (पचहत्तर हजार आठ सौ आठ रुपये)
		20 03- प्रशिक्षण व्यय	0.00 (शून्य)	1.05576 (एक लाख पाँच हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये)	1.05576 (एक लाख पाँच हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये)
	कुल योग		0.47718 (सैतालीस हजार सात सौ अठारह)	1.33666 (एक लाख तेतीस हजार छः सौ छियासठ रुपये)	1.81384 (एक लाख इक्यासी हजार तीन सौ चौरासी रुपये)

5. यह आवंटन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-194/आ0प्र0 दिनांक 06.11.18 एवं 206/आ0प्र0 दिनांक 26.11.18 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे ।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रतः एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक -2561वि0(2) दिनांक -17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक -15.03.2019 तक निश्चित रूप से की दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।


12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


अपर सचिव


ज्ञापांक - 62 / आ0प्र0, पटना-15, दि0- 18/12/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक - 62 / आ0प्र0, पटना-15, दि0- 18/12/18

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक - / आ0प्र0, पटना-15, दि0- 18/12/18

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक - 62 / आ0प्र0, पटना-15, दि0- 18/12/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक - 62 / आ0प्र0, पटना-15, दि0- 18/12/18

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/ सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ आई0टी0 मैनेजर/ प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव